मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 (फाल्गुन 23, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पारस जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह (कक्काजू), सदस्य, शिवपुरी जिले में फर्शी खदानों पर रायल्टी की अवैध वसूली होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षिक करेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, शहडोल के तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी पर दोष सिद्ध होने के बाद भी कार्यवाही न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकानों का अधिक सरचार्ज लिये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के नरवर में मंगरानी उद्वहन सिंचाई नहर का कार्य अपूर्ण होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद के नर्मदा पुल से इटारसी तक सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय को राजपत्र में अधिसूचित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चेतराम मानेकर,सदस्य, बैतूल जिले के-
- (क) ग्राम लिखड़ी से कलमेश्वरा के बीच नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम आमला ठानी मार्ग से खिड़की खुर्द मार्ग स्थित बड़ी नदी पर पुलिया निर्माण जाने ,
- (ग) ग्राम भुयारी से बारछी के बीच घाघरा नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम भुयारी से राजेगांव तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम टूरा बारेगांव से बिछुआ तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (च) ग्राम सेमरिया जोशी से ग्राम सोनतलाई तक सड़क निर्माण किये जाने,

(2) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, रीवा जिले के-
- (क) ग्राम डोंडौ में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
- (ख) ग्राम मनिका में सुकाड़ नदी पर पुल निर्माण किये जाने,तथा
- (ग) ग्राम गढ़ी से खजुरिया तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्रीमती रेखा,सदस्य, छतरपुर जिले के-
- (क) बड़ामलेहरा में कोषालय स्वीकृत किये जाने,
- (ख) ग्राम देवराम के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम बकस्वाहा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एन.सी.सी. स्वीकृत किये जाने,

(4) श्री पुरूषोत्तम दांगी,सदस्य, राजगढ़ जिले के-
- (क) ग्राम सोनकच्छ की अनुसूचित जाति बस्ती में सीमेन्ट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम सोनकच्छ स्थित श्मशान घाट की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम सोनकच्छ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम सोनकच्छ से पीपल्याबाग तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम सोनकच्छ में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,

(5) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, रायसेन जिले के-
(क) ग्राम रानीपुरा से कन्हवार तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम नोनिया- बरेली के मिडिल स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम किशनपुर को भारकच्छकला मुख्य सड़क से जोड़े जाने,तथा
(घ) बरेली के हॉकी ग्राउन्ड को सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम में विकसित किये जाने,
(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक,सदस्य, शिवपुरी जिले के-
(क) ग्राम बिलहारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम येड़ा पिछोर से टपरियन तक रोड निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम छितरी में पडुना नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/ स्वीकृति

(1) श्री बृजमोहन धूत, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री अलकेश आर्य, सभापति, याचिका समिति का इकतीसवां, बत्तीसवां, तैतीसवां, चौतीसवां एवं पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 187वां से 200वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधीत लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल
		मांग संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
		मांग संख्या – 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या – 18	श्रम
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
2 घन्टा 30 मि.	(5)	मांग संख्या – 3	पुलिस
		मांग संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा